बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
संकल्प

विषय : "बिहार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" की कार्यान्वयन की रूपरेखा से संबंधित मार्गदर्शिका ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके लिए राशि भारत सरकार द्वारा संबंधित जिलों को प्राप्त करायी जाती है ।

2. <u>योजना का उद्देश्य</u>

संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पतियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है।

3 <u>योजना का चयन</u>

1. सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत संसद सदस्य के द्वारा योजनाओं का चयन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।
2. प्रत्येक सांसद, संबद्ध जिला योजना पदाधिकारी को अनुसूची-।।। में दिये गये प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान, जहां तक हो सके वित्तीय वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के अंदर वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यो की अनुशंसा करेंगे ।

4. <u>निधि जारी करना एवं प्रबंधन</u>

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास येाजना के तहत भारत सरकार के द्वारा दो समान किस्तों में सीधे जिला येाजना पदाधिकारी के पद नाम से निधि जारी की जायेगी तथा इसकी सूचना येाजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार एवं संवद्ध संसद सदस्य को भी दी जायेगी ।

5. <u>योजनाओं का कार्यान्वयन</u>

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(क) इस योजना का राज्य स्तर पर नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग होगा ।

(ख) जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला योजना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।

6. **<u>योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी का चयन</u>** :-

(क) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसी योजनाएँ जो किसी विभाग विशेष की विशिष्ट रूप में आवंटित कार्यक्षेत्र की योजनाएँ होंगी, उनका कार्यान्वयन उसी विभाग से कराया जायेगा यथा राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथ निर्माण की योजनाएँ पथ निर्माण विभाग के कार्यकारी एजेन्सी से, सिंचाई एवं बाढ़ रक्षात्मक परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के द्वारा आदि ।

(ख) शेष अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर नवगठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल उत्तरदायी होंगे ।

7. <u>कार्यान्वयन की प्रक्रिया</u>

(क) इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आधार पर निविदा के माध्यम से कराया जायेगा ।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों/सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा ।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराये जाने के लिए कार्यकारी एजेंसी सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर निविदा प्रकाशन, निविदा निष्पादन एवं एकरारनामा की कार्रवाई पूरी करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

8. <u>कार्यान्वयन की पद्धति</u>

1. प्रत्येक संसद सदस्य अनुमान्य कार्यों की अनुशंसा अपने पत्र शीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर करके भेजेंगे । संसद सदस्यों द्वारा जिला योजना पदाधिकारी को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रपत्र अनुसूची ।।। भी निर्धारित है।
2. संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी अनुशंसा अनुमान्य नहीं होगी।
3. यदि किसी सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जिले हैं और संसद सदस्य केंद्रक जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कार्यों की अनुशंसा करना चाहते हैं, तो केंद्रक जिले के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्यो की सूची, उस जिला योजना पदाधिकारी को दी जाएगी जिसके जिला क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है । जिस जिला योजना पदाधिकारी के जिला क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है, उसे समुचित लेखा

रखना होगा और कार्यो के समय पर कार्यान्वयन के लिए समुचित क्रियाविधि का पालन करना होगा ।

4. संसद सदस्य की सहमति के बिना संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य एवं कार्य के निष्पादन के लिए चयनित कार्य स्थल को बदला नहीं जाएगा ।

5. संसद सदस्यों से वार्षिक पात्रता के अधीन अनुशंसित सभी योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से यथा संभव सात कार्य दिवसों के अन्दर जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित विभाग के कार्य प्रमंडल को प्राक्कलन तैयार करने हेतु भेजा जायगा। कार्यकारी एजेन्सियों के द्वारा यथा सम्भव 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राक्कलन जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विशेष प्रकृति की योजना जिसके प्राक्कलन के साथ सामग्रियों की प्रयोगशाला जाँच अथवा सर्वे आदि प्रतिवेदन सन्निहित होंगी उनका प्राक्कलन यथासम्भव एक माह में तैयार कराया जाय। कार्यकारी एजेन्सियों के द्वारा सामान्यतया प्राक्कलन इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे योजना का समग्र रूप से लोकहित में उपयोग हो सके । प्राक्कलन के साथ योजना की उपयोगिता/सार्थकता, सरकारी भूमि की उपलब्धता आदि के प्रतिवेदन के साथ प्राक्कलन प्राप्त होते ही उसे पुनः संबंधित संसद सदस्य को अवलोकन हेतु प्राप्त कराया जायगा। सांसद के द्वारा प्राक्कलन एवं संबंधित प्रतिवेदन प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर योजना कार्यान्वित कराये जाने की सहमति एवं प्राथमिकता सूची दी जायेगी।

6. इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसी योजनाएँ जो किसी विशेष कार्य विभाग यथा- जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग को विशिष्ट रूप में आवंटित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होंगी, उन योजनाओं के मामले में संबंधित प्रशासी विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही योजना का कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी । संबंधित प्रशासी विभागों को योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सहमति अथवा असहमति प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

7. कार्य को तभी स्वीकृत एवं कार्यान्वित कराया जायेगा जब संसद सदस्य द्वारा कार्यान्वयन पर सहमति दे दी गई हो एवं सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी हो ।

9. परियोजनाओं की स्वीकृति

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक एव तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

(क) प्रशासनिक स्वीकृतिः

सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक	स्वीकृति हेतु अधिसीमा
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	प्रशासनिक	दो करोड़ से उपर
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक
जिला योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख से उपर पचास लाख तक
सहायक योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख तक

(ख) तकनीकी स्वीकृतिः

सक्षम पदाधिकारी	तकनीकी	स्वीकृति हेतु अधिसीमा
मुख्य अभियंता	तकनीकी	दो करोड़ से उपर
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	दस लाख से उपर पचास लाख तक
सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख तक

10. योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा

सांसद द्वारा योजनाओं की उपयोगिता/सार्थकता संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात अंतिम रूप में चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त योजना पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव की प्राप्ति से निम्न निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रदान की जाएगीः-

प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक/ तकनीकी	प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने हेतु निर्धारित समय सीमा
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	प्रशासनिक	पन्द्रह कार्यकारी दिवस

क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस कार्यकारी दिवस
जिला योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	सात कार्यकारी दिवस
सहायक योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	पाँच कार्यकारी दिवस
मुख्य अभियंता	तकनीकी	पन्द्रह कार्यकारी दिवस
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	दस कार्यकारी दिवस
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	सात कार्यकारी दिवस
सहायक अभियंता	तकनीकी	पाँच कार्यकारी दिवस

11. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देश के अन्य शेष सभी उपबंध यथावत रहेंगे ।

12. जिन अनुशंसित योजनाओं का कार्यादेश इस मार्गदर्शिका के अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व निर्गत हो गया है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में उपयुर्क्त प्रक्रियाएँ लागू नहीं होगी। अन्य योजनाओं के मामले में उपर्युक्त प्रक्रियाएँ लागू होंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.11.11

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-80/2011- 3756 /यो0वि0, पटना, दिनांक 10 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.11.11
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-80/2011- 3756 /यो0वि0, पटना, दिनांक 10 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.11.11
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-80/2011- 3756 /यो0वि0, पटना, दिनांक 10 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः बिहार राज्य के सभी माननीय संसद सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.11.11
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/1-80/2011- 3756 /यो0वि0, पटना, दिनांक 10 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10.11.11

प्रधान सचिव

Annex-III

FORMAT FOR RECOMMENDING ELIGIBLE WORKS BY MEMBER OF PARLIAMENT

(The recommendation be given on the MP"s letter head)

Place:
Date:

From,

Name
Member of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha)
Address

To,

The District Authority (District Planning Officer)

Sub: Recommendation of work under MPLAD Scheme.

Sir,

I recommend that the following works may please be scrutinized and sanctioned, in the order of priority indicated below, from the MPLADS fund. The works in the Priority No....................and......................... are meant for the development of areas inhabited by SCs/and STs population respectively.

Priority No.	Name and Nature of work*	Location
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

* Please refer to Annex- IVE of the Guideline
(The priority list can be increased if the MP recommends more works up to the entitlement).

2. The above works may please be got scrutinized and technical, financial and administrative sanction issued within 45 days of receipt of this letter. The sanctioned works should be completed quickly as per the provisions of the MPLADS Guidelines. I may please be kept informed of the sanction and the progress of the works implementation. If any of recommended work is found non eligible, and if the sanction is delayed beyond 45 days, reasons for the same may be intimated to me.

Yours faithfully,

(Signature of MP)